"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 837] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2025 — कार्तिक 8, शक 1947

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक PROJ-41016/224/2025-HOUSING.— राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत कोण्डागांव विकास योजना 2031 में अत्यावश्यक लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए सूचना दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :–

कोण्डागांव विकास योजना 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	कोण्डागांव विकास योजना 2031 अनुसार भू उपयोग	अधिनियम की धारा 23–क के तहत् उपांतरण
1.	कोण्डागांव	626/269	4.04 हेक्टेयर	कृषि	आवासीय

2. उक्त उपांतरण छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की आवास योजना हेतु है।

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

4. अतः राज्य शासन एतद् द्वारा कोण्डागांव विकास योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण कोण्डागांव विकास योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2025.